न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 127/2021 राजस्व वाद
श्रीमती जमनी पत्नी श्री जग्गु बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी– गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– वादीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादीया
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक– 24/01/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) की सरहद मे साबिक आराजी नम्बर 454 मे से 05 पांच बीघा भूमि वादीया के पति जगु पुत्र भजा बलाई भूमिहीन काश्तकार होने व कृषक होने व आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गयी व वादीया के पति को कब्जा सिपुर्द किया गया। जिसके बटा नम्बर 454/2 रकबा 05 पांच बीघा कायम किये गये। जो जमाबंदी संवत 2024 से 2027 मे वादीया के पति के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे दर्ज है। वादीया के पति वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आवंटितशुदा भूमि पर आंवटन कर कब्जा सिपुर्द करने की दिनांक से वादी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व वादीया के पति के देहान्त उपरान्त वादीया उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। आज भी वादीया कब्जा एंव उपयोग उपभोग है। उक्त भूमि ही वादीया की आजीविका का एकमात्र जरिया है तथा वादी उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करती आ रही है। वादीया ने वर्तमान मे अपनी आवंटितशुदा भूमि पर काबिज है। दिनांक 02 जुलाई 2021 दो हजार इक्कीस को कुछ अजनबी व्यक्ति पटवारी को लेकर मौके पर आये व वादीया को बेदखल करने लगे, इस पर वादीया ने उन्हे कहा कि उक्त भूमि वादीया के पति को आवंटितशुदा है, जिस पर वादीया काबिज है, इस पर उन्होने कहा कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम सरकार हो चारागाह भूमि दर्ज है। इस कारण से तुम्हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

बेदखल करके रहेगे। इस पर वादीया ने जानकारी की तो पता चला कि वादीया को पता चला कि वादीया के पति को आंवटितशुदा आराजी नम्बर 454/2 रकबा 05 बीघा भूमि वादीया को आवंटित होने व पटवारी द्वारा वादीया के पति को कब्जा सिपुर्द करने व गैर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो की गफलत व लापरवाही के कारण सेटलमेन्ट के दौरान वादीया के पति के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि को बिलानाम दर्ज कर नवीन आराजी नम्बर 1326 रकबा 16.4783 हैक्टयर मे शामिल करते हुए कायम कर बिलानाम दर्ज कर दी व बाद मे चारागाह हेतु दर्ज कर दी। वादीया के पति की आराजी के नवीन नम्बर कायम नही किये जबकि उक्त आराजी मे 05 बीघा भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। वादीया व उसके पति वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी पर आवंटन की दिनांक से वादीया काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वादीया उक्त आवंटितशुदा आराजी नम्बर 454/2 रकबा 05 बीघा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 1326 मे से 05 बीघा भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है तथा उक्त भूमि वादीया के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है व साथ ही वादीया की उक्त भूमि को कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम की जाना आवश्यक है साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थना दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार घौषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। मामले मे निम्न विवाद्यक कायम किये गये–

1. कि आया वादीया ग्राम गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) की साबिक आराजी नम्बर 454/2 रकबा 05 बीघा भूमि वादीया के पति जगु पुत्र श्री भजा बलाई बलाई को आंवटित होने व उक्त आराजी के नवीन बटा नम्बर कायम किये नवीन बिलानाम आराजी नम्बर 1326 रकबा 16.4783 हैक्टयर मे मिला दी, वादीगण राजस्व रेकार्ड आराजी नम्बर 1326 मे से 05 बीघा भूमि कम करा, उक्त भूमि को अपने नाम पर खातेदार काश्तकार घौषित होने व अपने नाम पर दर्ज कराने की अधिकारिणी है ?

––बजिम्मे वादीया

2. आया वादीया प्रतिवादी के [illegible] के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा नही करने व अन्य को [illegible] नही कराने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:55 IST
Reason: SelfAttested

––बजिम्मे वादीया

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

3. आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे उठाये गये एतराजो के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ?

—— बजिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष–

वादीया द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये। वादीया द्वारा प्रकरण मे वादीया के पति जगु पुत्र भजा बलाई को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) की सरहद मे साबिक आराजी नम्बर 454 मे से 05 पांच बीघा भूमि आंवटन होने बाबत आंवटन पत्रावली पेश की गयी व साथ ही मिलान खसरा पेश किया गया व साथ ही वादीया द्वारा जगु बलाई के नाम पर आंवटित भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज होने बाबत दस्तावेज पेश किये गये व साबिक नम्बर के नवीन आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1326 की जमाबंदी की नकल पेश की गयी व साथ ही नामान्तकरण पंजिका के नामान्तकरण संख्या 80 मे साबिक आराजी का कुल रकबा 71 बीघा 05 बिस्वा है व आंवटन वादीया के पति को 05 बीघा होने से साबिक रकबा 66 बीघा 05 बिस्वा होना चाहिये था व साथ ही सहवन से वक्त सेटलमेन्ट आराजी नम्बर 1326 मे रकबा 74 बीघा 05 बिस्वा मे नई जरीब अनुसार 03 बिस्वा प्रतिबीघा कम करने पर रकबा 63 बीघा 04 बिस्वा दर्ज होना चाहिये , जबकि रकबा 71 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है। अतः उक्त नवीन आराजी नम्बर 1326 मे वादीया के पति को आंवटित रकबा 05 बीघा शामिल होना प्रथम दृष्टया साबित है। वादीया द्वारा मामले मे वादीया व स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जिनके आधार पर भी उक्त भूमि पर वादीया का कब्जा पाया गया है। उपरोक्त भूमि वादीया के पति को आंवटित है, उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर विवाद्यक संख्या 01 वादीया अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहा है व विवाद्यक संख्या 01 वादीया के पक्ष मे सिद्व पाया जाता है।

कि विवादित आराजी नम्बर 1326 मे से 05 बीघा भूमि पर वादीया का कब्जा वादीया व गवाहान के बयानो से साबित होता है व वादीया को मौके से बेदखल किया जाने पर वादीया को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना लाजमी होने से उक्त विवाद्यक संख्या 02 वादीया संख्या 01 के पक्ष मे सिद्व पाया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 वादीया के पक्ष मे सिद्व होने से विवाद्यक संख्या 03 एवं 04 भी वादीया के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्व सिद्व माने जाते है।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:55 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादीया के पति जगु पुत्र भजा बलाई को भूमि आंवटन होना व गैर खातेदारी से नामान्तकरण दर्ज होना व कब्जा वादीया का होना प्रमाणित है व साथ ही वादीया के पति को साबिक आराजी से आंवटन हुआ है, दौराने सेटलमेट नई जरीब के अनुसार प्रतिबीघा 03

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

बिस्वा कम करते हुए आराजी नम्बर 1326 मे से 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर वादीया जमनी को ग्राम गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 1326 मे से 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम दर्ज करायी जावे व मौका कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम कराया जावें व साथ ही प्रतिवादी वादीया के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 127/2021 राजस्व वाद

अनवान

श्रीमती जमनी पत्नी श्री जग्गु बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी– गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––

वादीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 24.01.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर वादीया जमनी को ग्राम गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 1326 मे से 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम दर्ज करायी जावे व मौका कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम कराया जावें व साथ ही प्रतिवादी वादीया के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा
महीपाल सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 24.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा
महीपाल सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा